

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

नीरज कुमार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक- 28/4/26.

विषय:- चयन वर्ष, 2025 के लिए गैर-असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-1/सी0-1002/2026-सा0प्र0-1978, दि0-28.01.2026 एवं पत्रांक-6434, दिनांक-09.04.2026


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि चयन वर्ष, 2025 के लिए गैर-असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में इच्छुक अभियंताओं का आवेदन विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा इतिहास तथा चयन वर्ष, 2025 सहित कुल पाँच वर्षों की गोपनीय चारित्रियों /कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उपरोक्त के आलोक में इच्छुक अभियंताओं से अनुरोध है कि अपना आवेदन विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा इतिहास तथा चयन वर्ष, 2025 सहित कुल पाँच वर्षों की गोपनीय चारित्रियों/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ एक सप्ताह के अन्दर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(नीरज कुमार)


सरकार के अवर सचिव।

303

ई-मेल

पत्र संख्या : 1/सी.-1002/2026-सा0प्र0- 6434

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग



संजय कुमार, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना-15, दिनांक : 9 अप्रैल, 2026

विषय:- चयन वर्ष, 2025 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1978 दिनांक 28.01.2026


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्र दिनांक 28.01.2026 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त विभागीय पत्र द्वारा चयन वर्ष, 2025 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में से योग्यतम 2(दो) पदाधिकारियों का विधिवत् चयन कर सभी अपेक्षित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ यथेष्ट प्रस्ताव एकल, खिड़की प्रणाली के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशाखा-01 में दिनांक 15.04.2026 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के आम निर्वाचन में कई विभागीय सचिवों की व्यस्तता को दृष्टिगत करते हुए आलोच्य प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 15.04.2026 को दिनांक 20.05.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

विश्वसभाजन
[Signature]
(संजय कुमार)


सरकार के विशेष सचिव।



[Signature]
20/04/26

[Signature]
21/4/26

V.S-(1727)



ई-मेल / विशेष दूत

पत्र संख्या : 1/सी0-1002/2026-सा0प्र0-1978/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा.प्र.से.,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवामें,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना-15, दिनांक : 28 जनवरी, 2026

विषय:-

चयन वर्ष, 2025 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(2) तथा भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के नियम-4 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-14015/30/2015-ए आई एस-1 दिनांक -20.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा0प्र0से0 में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं, जो (1) बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं है, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2025 (प्रथम जनवरी दो हजार पच्चीस ई0) को 56 वर्ष के नहीं हुए हों तथा (4) अधिष्ठाई हैसियत से राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव रखते हों।

2. इस हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा 02 (दो) रिक्ति की सम्पुष्टि की गई है।

3. गैर-राज्य असैनिक सेवा (नॉन-एस सी एस) के पदाधिकारियों की भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) में चयन आधारित नियुक्ति हेतु राज्य असैनिक सेवा (एस सी एस) के उप समाहर्ता के पद की समकक्षता सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प, ज्ञापांक-6086 दिनांक 28.03.2023 द्वारा निर्धारित है।

4. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में से योग्यतम 02 (दो) पदाधिकारी का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुबद्ध संकल्प ज्ञापांक-8559 दिनांक 27.06.2018 में निर्धारित प्रक्रिया और ऊपर

की कंडिका-1 में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप निम्नलिखित शर्तों, बंधनों एवं औपचारिकताओं के तहत पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजात सहित प्रस्ताव विचारार्थ भेजने की कृपा की जाय:-

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक, विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई हो तो) अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण / दक्षता के हों तथा उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो।

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा-इतिहास (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदनों की विवरणी-समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग सहित विवरणी, के अलग-अलग पन्ने संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण (तिथिःपूर्ण) मूलचरित्र-पुस्तियाँ/उन चरित्र पुस्तियों के सभी पृष्ठों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ भी संलग्न की जायें। जिन तिथियों अथवा अवधि की गोपनीय अभ्युक्तियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि, प्रतिवेदक/ समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार में से किसी स्तर द्वारा अभिलेखित न हुआ हो या अल्पावधि के कारण अभिलेखित किया जाना आवश्यक न हों अथवा अभ्युक्तियों/प्रतिवेदन अनुपलब्ध हों, तब उनके अभिलेखित न होने/अनुपलब्ध होने के मान्य कारण का प्रमाण-पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी अवश्य संलग्न किये जायें। मूल वार्षिक अभ्युक्तियों/कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदनों के अभाव में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

प्रासंगिक उद्देश्य से संबंधित चयन वर्ष सहित कुल पाँच वर्षों (संबंधित चयन वर्ष और उसके ठीक पूर्व के वर्ष) की गोपनीय चारित्रियाँ/ कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मूल्यांकित होंगे।

(ङ) पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी भेजे जाएँ ताकि संबंधित पदाधिकारियों की पूर्ण सत्यनिष्ठा सत्यापित की जा सके;

(च) पदाधिकारियों की पूर्व पदस्थापन विवरणी (वेतनमान सहित) सम्मिलित किया जाय:

(छ) पदाधिकारियों के मनोनयन उनके पैतृक विभागों द्वारा ही किये जायेंगे;

(ज) पात्रता के लिये निर्धारित भारत सरकार की शर्तों (जिनका उल्लेख उपर्युक्त कंडिका-1 एवं संलग्न संगत नियमावली की कंडिका-4 में है) के पूर्णतः अधीन रहते हुए विषयगत प्रयोजन से गठित की जानेवाली विभागीय समितियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी दृष्टिगत करने का यथा संभव प्रयास भी किया जाय; और

(झ) प्रशासी विभागों की चयन समिति की कार्यवाही की मूलप्रति एवं उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किये जाने वाले मनोनयन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें। समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्रशासी विभाग से प्राप्त अनुशंसाएँ किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होंगी;

5. कंडिका-4 में वर्णित शर्तों एवं बंधजों के आलोक में अनुशंसा के साथ सभी आवश्यक सूचनायें एवं कागजात अनुबद्ध विहित प्रपत्र में संलग्न किए जायें। किसी सूचना/कागजात के अभाव में प्राप्त अनुशंसायें भी विचारणीय नहीं होंगी।

6. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अगर किसी पदाधिकारी को अनुशंसित किया गया है, तो उनको पुनः अनुशंसित करने में यद्यपि प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधजों के अन्तर्गत आते हों। परन्तु, नये पदाधिकारियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आलोच्य विचारण-प्रक्रिया में वैसे पदाधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाय, जो संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु दो बार उपस्थित हो चुके हों।

7. वैसे पदाधिकारियों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिनकी सम्पूर्ण सेवावधि की गोपनीय चारित्रियां/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित विभाग के आधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड नहीं होंगे।

8. प्रासंगिक चयन प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना होता है। प्रशासी विभागों द्वारा समर्पित की जाने वाली अनुशंसाओं की त्रुटियों के मार्जन में काफी समय व्यय हो जाता है, फलस्वरूप, प्रश्नगत पत्र व्यवहारों में व्यतीत होने वाले समय को न्यून करने की दृष्टि से आलोच्य अनुशंसायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में एकल खिड़की विधि से प्राप्त की जायेंगी। इस प्रक्रिया के तहत वांछित अनुशंसाएँ मात्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की प्रशाखा-01 में संबंधित प्रशासी विभागों की ओर से प्राधिकृत

पदाधिकारी, जो प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के हों, द्वारा प्राप्त करायी जायेंगी ताकि प्रासंगिक समर्पण की त्रुटियों का तत्क्षण/ शीघ्रातिशीघ्र निराकरण संभव हो सके।

9. अनुरोध है कि यथा वर्णित रीति से विभागीय मनोनयन 15.04.2026 तक श्री कन्हैया कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अरविन्द कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को हस्तागत कराने की कृपा की जाय।

विश्वसभाजन

38/11/26
सरकार के विशेष सचिव

अनुलग्नक-

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-6086 दिनांक 28.03.2023 की प्रति।
- (2) भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 की कंडिका-4 से संबंधित पृष्ठ।
- (3) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8559 दिनांक 27.06.2018 एवं संगत पाठ्यक्रम की प्रतियाँ
- (4) आवश्यक सभी प्रपत्र/जॉच पत्र/अभिलेख समर्पण- विवरणी (8 पृष्ठों में)।